7/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O सम दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

13/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप I.P.O सा दौर पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/7/22 को पेश हो।

18/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O नायब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/7/22 को पेश हो।

21/7/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप. बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 29/07/22 को पेश हो।

/7/22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि है। अत: पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

प्रा0 पत्र0 152 / 2022

निर्णय दिनाक 29 07 2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाडी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नबर 1033 रकबा 0 38 हैक्ट की प्रार्थी व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनाक ~~18 05 2022~~ 06-04-2017 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner